दिनांक : 13 जनवरी, 2026

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार जनादेश 2025: एक ऑडिट में चुनावी जनादेश को कमजोर करने की सुनियोजित कोशिश का खुलासा

मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाने से लेकर मतदान के बाद आंकड़ों में हेरफेर तक, VFD (Vote For Democracy) की नई रिपोर्ट बताती है कि बिहार का 2025 विधानसभा चुनाव मतदान से पहले, मतदान के दौरान और उसके बाद कैसे योजनाबद्ध तरीके से प्रभावित किया गया।

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर आई एक विस्तृत रिपोर्ट ने भारत की चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यह रिपोर्ट लोकतांत्रिक जनादेश को कमजोर करने की एक सुनियोजित और कई स्तरों पर की गई कोशिशों का दस्तावेजी विवरण पेश करती है। "द बिहार वर्डिक्ट 2025" शीर्षक वाली इस रिपोर्ट को महाराष्ट्र स्थित वोट फॉर डेमोक्रेसी (VFD) ने तैयार किया है। यह पूरी तरह से भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों, वैधानिक कानूनों, संवैधानिक प्रावधानों और दर्ज की गई गड़बड़ियों पर आधारित है।

यह रिपोर्ट किसी भी तरह के सुनी-सुनाई बातों, आरोपों या राजनीतिक दावों पर आधारित नहीं है। इसके बजाय, यह आधिकारिक आंकड़ों, समय-सीमाओं और कानूनी ढांचे के आधार पर पूरे चुनावी प्रक्रिया को दोबारा सामने रखती है। इससे साफ होता है कि बिहार चुनाव का नतीजा वोट पड़ने से काफी पहले ही तय दिशा में मोड़ा गया था और मतदान खत्म होने के बाद भी उसमें बदलाव किए गए। यह रिपोर्ट वोट फॉर डेमोक्रेसी (VFD), महाराष्ट्र द्वारा तैयार और संकलित की गई है। इसे विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में लिखा गया है, जिनमें एम. जी. देवसहायम (सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और फोरम फॉर इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के संस्थापक), डॉ. प्यारा लाल गर्ग (पूर्व डीन, फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज़, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़), प्रोफेसर हरीश कार्णिक (कंप्यूटर साइंस विशेषज्ञ) और माधव देशपांडे (कंप्यूटर साइंस विशेषज्ञ) शामिल हैं।

अभूतपूर्व विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR): एक चुनावी 'घात'

रिपोर्ट का केंद्र बिंदु मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) है, जिसकी अधिसूचना 24 जून 2025 को विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले जारी की गई। समय और व्यापकता- दोनों ही लिहाज से यह कदम अभूतपूर्व

votefordemoc@gmail.com

Dolphy D'souza | +91 98338 84227 | Teesta Setalvad | +91 9967545009
Fr. Frazer Mascarenhas | +91 9324544540 | Khalil Deshmukh | +91 9970265086

था, खासकर ऐसे राज्य में जहां 2003 से लगातार मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होता रहा है और जनवरी 2025 में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण पहले ही पूरा किया जा चुका था।

सबसे अहम बात यह है कि निर्वाचन आयोग ने इतने बड़े पैमाने पर और चुनाव के इतने करीब यह प्रक्रिया शुरू करने के लिए न तो कोई ठोस कारण दर्ज किया, न कोई तथ्यात्मक आधार सार्वजनिक किया और न ही कोई पारदर्शी कार्यप्रणाली बताई। रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम न केवल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 का उल्लंघन करता है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 के तहत गंभीर संवैधानिक सवाल भी खड़े करता है।

सबसे गंभीर बात यह रही कि SIR ने चुनावी कानून के एक बुनियादी सिद्धांत को ही पलट दिया- जहां पहले मतदाता को सूची में शामिल मानने की धारणा होती थी, वहां अब बाहर रखने की धारणा बना दी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि नागरिकों को बिना किसी विधायी मंजूरी के, नागरिकता जैसी जांच प्रक्रिया से गुजरने पर मजबूर कर दिया गया।

योजनाबद्ध तरीके से बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करना

SIR का संख्यात्मक असर चौंकाने वाला था। निर्वाचन आयोग (ECI) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार:

- 24 जून, 2025 को बिहार में कुल 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे।
- 1 अगस्त, 2025 के ड्राफ्ट रोल में यह संख्या घटकर 7.24 करोड़ हो गई, यानी 65.69 लाख नाम हटाए गए।
- 30 सितंबर, 2025 के फाइनल रोल में लगभग 7.42 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए।

फिर भी, रिपोर्ट के अनुसार केवल 3.66 लाख मतदाताओं को ही वास्तव में अयोग्य पाया गया। इसका मतलब यह है कि हटाए गए नामों की संख्या काफी असामान्य थी, जो साधारण सुधार नहीं बल्कि मतदाता सूची में हेरफेर (electoral roll engineering) की ओर इशारा करती है।

सिर्फ 21 से 25 जुलाई के बीच, तीन दिनों में ही 21.27 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए जो किसी भी प्रशासनिक मानक के हिसाब से असंभव लगता है। इस अवधि के दौरान, 5.44 लाख मतदाताओं को 'मृत' और 14.24 लाख को 'स्थायी रूप से स्थानांतरित' के रूप में चिह्नित किया गया।
'लापता' (अनट्रेसेबल) के रूप में चिह्नित मतदाताओं की संख्या एक रात में 809% बढ़ गई, जबकि किसी भी "विदेशी" मतदाता की पहचान नहीं की गई, हालांकि इसी को पुनरीक्षण का मुख्य औचित्य बताया गया था।

अस्पष्ट सुधार और गणितीय विरोधाभास

ये रिपोर्ट आगे निर्वाचन आयोग के सुधार (rectification) के दावों में गहरे विसंगतियों को उजागर करती है। आयोग ने कहा कि लगभग 17 लाख आपत्तियां या आवेदन प्राप्त हुए, जबकि वास्तव में मतदाता सूची में हुए बदलाव लगभग 22 लाख प्रविष्टियों को प्रभावित करते हैं। सभी सुधारों को ध्यान में रखने के बाद भी अंतिम मतदाता संख्या गुना गणित के हिसाब से लगभग 7.38 करोड़ होनी चाहिए थी, लेकिन आयोग ने 7.42 करोड़ मतदाता घोषित किए, जिससे 3.24 लाख वोटरों की बिना वजह ज्यादा संख्या सामने आई।

इस असंगति के लिए कोई स्वतंत्र ऑडिट, समाधान विवरण या पारदर्शी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

चुनाव अधिसूचना के बाद मतदान से पहले हेरफेर

निर्वाचन मानदंड के अनुसार, चुनाव घोषित होने के बाद मतदाता सूची में को बदलाव नहीं होना चाहिए। हालांकि, रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिसूचना के बाद भी:

- 6 अक्टूबर, 2025 को बिहार में 7.43 करोड़ मतदाता थे।
- मतदान के दिन यह संख्या बढ़कर 7.46 करोड़ हो गई।

इसका मतलब है कि सिर्फ दस दिनों में 3.34 लाख वोटर जोड़े गए, जिसमें युवा वोटरों की संख्या में अचानक और बिना किसी वजह के बढ़ोतरी हुई जिससे चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठते हैं।

संरचनात्मक और संस्थागत कब्जा

वोटर लिस्ट के अलावा, रिपोर्ट इन चीजों के जरिए संरचनात्मक हेरफेर पर भी जोर देती है:

● पोलिंग बूथों में तेजी से बढ़ोतरी- 2024 के लोकसभा चुनावों में 77,462 से बढ़कर बिहार 2025 में 90,740 हो गए- बिना दूरदराज या नदी वाले इलाकों में इसी हिसाब से विस्तार किए।

● निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा जिसने निरंतरता के नियमों का उल्लंघन किया।

● चुनाव आयोग का गिनती से पहले निर्वाचन क्षेत्र-वार मतदान का आंकड़ा और डाले गए अंतिम वोटों को प्रकाशित करना बंद करने का फैसला, सिर्फ खंडित, जिला-स्तरीय आंकड़ा जारी करना जिसे स्वतंत्र रूप से वेरिफाई नहीं किया जा सकता था।

जमीनी स्तर पर, 1.8 लाख 'जीविका दीदियों' (राज्य कल्याण योजनाओं की लाभार्थी) को चुनाव वॉलंटियर के तौर पर तैनात करने से कल्याणकारी योजनाओं और चुनाव प्रशासन के बीच की लकीर धुंधली हो गई। रिपोर्ट में बूथ लेवल

एजेंटों में गंभीर असंतुलन का भी जिक्र है, जिसमें विपक्षी गठबंधन के पास प्रति बूथ औसतन सिर्फ 1.55 एजेंट थे, जिससे हेरफेर की गुंजाइश बनी।

चुनाव के दिन, चुनाव के बाद उल्लंघन और 'आधी रात की बढ़ोतरी'

वोटिंग और गिनती के दिनों में रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों का जिक्र है: CCTV का खराब होना, सड़कों पर VVPAT पर्चियां फेंकी हुई मिलना, स्ट्रॉन्ग रूम के पास बिना इजाजत के गाड़ियां और हरियाणा से लगभग 6,000 वोटरों को स्पेशल ट्रेनों से लाना, जिसके लिए कथित तौर पर मुफ्त टिकट दिए गए थे।

सबसे चिंताजनक बात 12 नवंबर, 2025 को हुई तथाकथित "आधी रात की बढ़ोतरी" से जुड़ी है, जब सभी चरणों में वोटिंग प्रतिशत में एक समान 0.18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई - जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक जैसी थी। इस एक बदलाव से 1,34,145 वोट बढ़ गए, जिससे लगभग 20 सीटों के नतीजों में बदलाव आया। खास बात यह है कि 21 सीटों का फैसला सिर्फ 0-15 वोटों के अंतर से हुआ, फिर भी VVPAT की ऑटोमैटिक दोबारा गिनती नहीं की गई।

चुनावी विश्वसनीयता का संकट

रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि बिहार 2025 के चुनाव को सिर्फ कुछ अलग-थलग गड़बड़ियों की एक श्रंखला के तौर पर नहीं समझाया जा सकता। इसके बजाय, यह व्यवस्थित चुनावी गड़बड़ी की एक तस्वीर पेश करता है, जिसे प्रशासनिक अपारदर्शिता, कानूनी उल्लंघनों, डेटा छिपाने और चुनाव के बाद हेरफेर के जरिए अंजाम दिया गया।

लेखक चेतावनी देते हैं कि दांव पर सिर्फ एक राज्य चुनाव का नतीजा नहीं है, बल्कि भारत के संविधान में सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने के वादे की विश्वसनीयता ही दांव पर है।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपका संगठन और आप व्यक्तिगत रूप से इस रिपोर्ट की सामग्री को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाएं।

रिपोर्ट और पीपीटी उपलब्ध हैं: https://votefordemocracy.org.in/

पूरी रिपोर्ट: https://votefordemocracy.org.in/wp-content/uploads/2026/01/260113-FINALTHE-BIHAR-VERDICT.pdf

प्रेजेंटेशन: https://votefordemocracy.org.in/wp-content/uploads/2026/01/THE-BIHARVERDICT-2025-ppt.pdf

votefordemoc@gmail.com

Dolphy D'souza | +91 98338 84227 | Teesta Setalvad | +91 9967545009
Fr. Frazer Mascarenhas | +91 9324544540 | Khalil Deshmukh | +91 9970265086